न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, वीरेन्द्र सिंह चौधरी, आर.ए.एस

अपील संख्याः 152/11 **निर्णय दिनांकः–** 08-02-2024
(जीसीएमएस संख्या 2011/00044)

1. शीलादेवी पत्नि सुरेन्द्र कुमार जाति अग्रवाल निवासी गंगाशहर रोड़, बीकानेर।

–अपीलांट्

–बनाम–

1. हनुमानराम पुत्र शिवकरण जाति जाट निवासी देराजसर तहसील श्रीडूँगरगढ़ जिला बीकानेर।
2. श्रवणराम पुत्र शिवकरण जाति जाट निवासी देराजसर तहसील श्रीडूँगरगढ़ ज़िला बीकानेर।
3. हुकमाराम पुत्र शिवकरण जाति जाट निवासी देराजसर तहसील श्रीडूँगरगढ़ जिला बीकानेर।
4. बालीदेवी पत्नि शिवकरण जाति जाट निवासी देराजसर तहसील श्रीडूँगरगढ़ जिला बीकानेर।
   4/1. पदमा पुत्री बालीदेवी
   4/2. तुलसा पुत्री बालीदेवी
   4/3. भंवरी पुत्री बालीदेवी
5. बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा सूडसर तहसील श्रीडूँगरगढ़ जिला बीकानेर।
6. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, श्रीडूँगरगढ़।

–रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरुद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 13–01–2011
उपखण्ड अधिकारी, श्रीडूँगरगढ़

उपस्थितः–

1. श्री धीरेन्द्र सिंह भदौरिया, अभिभाषक अपीलांट्
2. श्री अजय कुमार ओझा, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 3
3. श्री मिलापचन्द धतरवाल, राजकीय अभिभाषक

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

–निर्णय–

1. अपीलांट ने यह अपील उपखण्ड अधिकारी, श्रीडूँगरगढ़ के निर्णय व डिक्री दिनांक 13–01–2011 जिसके द्वारा विधि विरूद्व तरीक से निर्णय व डिक्री पारित की गई है, के विरुद्व इस न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है ।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलांट् द्वारा वादग्रस्त भूमि ग्राम देजरासर के खेत खसरा नम्बर 510/70 जिसके नये खसरा नम्बर 104, 105, 108, 699/103, 700/109 तादादी 41 बीघा 16 बिस्वा पैमूद हुए है, उक्त संयुक्त खाते की भूमि में से दक्षिणी पूर्वी हिस्से की तरफ से 5 बीघा भूमि जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 07–04–2006 से क्रय की गई थी, तथा रेस्पोडेन्ट्स द्वारा उक्त भूमि का कब्जा भी अपीलांट् को तत्समय ही सुपुर्द कर दिया गया था। अपीलांट् तभी से वादग्रस्त भूमि पर काबिज काश्त चला आ रहा है। रेस्पोडेन्ट्स द्वारा कालान्तर में अपीलांट् को पक्षकार बनाये बिना ही अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादपत्र प्रस्तुत करते हुए व इकबाली जवाबदावा पेश करते हुए वादग्रस्त भूमि का विभाजन करवा लिया गया। प्रकरण में उल्लेखनीय यह है कि रेस्पोडेन्ट्स द्वारा दिनांक 13–01–2011 को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादग्रस्त भूमि के बाबत् वादपत्र अन्तर्गत धारा 88 व 53 आरटीएक्ट के तहत प्रस्तुत किया गया था, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उसी दिन अर्थात दावा प्रस्तुत करने की दिनांक को ही प्रतिवादी के इकबाली जवाब दावे व वादपत्र में उल्लेखित कथनों के आधार पर वादपत्र को डिक्री कर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उनके समक्ष वादपत्र पर न तो स्टेट का जवाब प्राप्त किया गया नाही नियमानुसार तनकीयात् कायम की गई है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादप्रक्रिया को अपनाये बिना ही एकतरफा तौर पर अपीलांट् जोकि वादग्रस्त भूमि का सद्भावी क्रेता है, को पक्षकार स्थापित किये बिना आदेश जैर अपील पारित करते हुए अपीलांट् के विधिक अधिकारों पर कुठाराघात किया गया है।

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी सत्यमेव जयते बीकानेर

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

उन्होनें आगे कथन किया कि रेस्पोडेन्ट्स द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादपत्र प्रस्तुत किये जाने पर किसी अधिकारी की प्रजन्टेशन व मार्किंग नहीं है, नाही अहलमद सरिश्ते की कोई रिपोर्ट की अंकित है, नाही किसी अधिवक्ता के हस्ताक्षर अंकित है तथा वादपत्र के साथ प्रस्तुत शपथ पत्र भी तस्दीकशुदा नहीं है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आनन–फानन में मात्र रेस्पोडेन्ट्स के वादपत्र को स्वीकार करने के उद्वेश्य मात्र से आदेश पारित करते हुए अपीलांट् के विधिक अधिकारों को समाप्त किया गया है। प्रकरण में यह तथ्य भी निर्विवाद है कि अपीलांट् द्वारा अपनी खरीदशुदा भूमि की सुरक्षा एवं संरक्षणा हेतु अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादग्रस्त भूमि बाबत् रिकार्ड दुरूस्ती एवं तरमीम दुरूस्ती का वादपत्र प्रस्तुत कर रखा है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय के बाबत् किसी प्रकार की कोई रिपोर्ट प्राप्त किये बिना ही आदेश जैर अपील पारित किया गया है। जो स्पष्ट रूप से विधि सम्मत् आदेश की परिभाषा में नहीं आता है। लिहाजा अपीलांट् की अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 13–01–2011 निरस्त फरमाया जावे।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट् द्वारा मियाद के संबंध में कथन किया कि अपीलांट् को अपीलाधीन आदेश की जानकारी नहीं थी क्योंकि रेस्पोडेन्ट्स द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांट् को पक्षकार स्थापित नहीं किया गया था। अपीलांट् द्वारा जानकारी के दिन से अपील अन्दर मियाद प्रस्तुत की गई है। अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। अतः अपील अन्दर मियाद शुमार करते हुए अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश व डिक्री निरस्त फरमाये जावे।

4. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स द्वारा अपनी बहस में कथन किया कि वादग्रस्त भूमि रेस्पोडेन्ट्स की संयुक्त खाते की भूमि रही है। जिसके विधिवत् विभाजन हेतु रेस्पोडेन्ट्स द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88 व 53 के तहत वादपत्र प्रस्तुत करते हुए आराजी जैर के खातेदारी अधिकारों की घोषणा एवं विभाजन की मांग की गई थी। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादपत्र प्रस्तुत होने पर रेस्पोडेन्ट संख्या 4/प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

इकबाली जवाब दावा प्रस्तुत किये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आराजी जैर के बाबत् प्रस्तुत वादपत्र को स्वीकार योग्य पाये जाने पर वादग्रस्त भूमि ग्राम देजरासर के खेत खसरा नम्बर 104, 105, 106, 107, 108, 700/109 की भूमि की खातेदारी का विभाजन किया गया है। अपीलांट् वादग्रस्त भूमि से किसी प्रकार से हितबद्ध पक्षकार नहीं है क्योंकि अपीलांट् द्वारा खरीद की गई भूमि खसरा नम्बर 510/70 जिसके नये खसरा नम्बर 699/109 पैमूद हुए है। ऐसी स्थिति में अपीलांट् के रेस्पोडेन्ट्स की अन्य भूमि से किसी प्रकार से हित प्रभावित हो रहे है, साबित करने में असफल रहे है। अपीलांट् द्वारा अपने कथन के समर्थन में ऐसा कोई दस्तावेजी प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिससे साबित हो कि अपीलांट् द्वारा क्रय की गई भूमि ग्राम देजरासर के खेत खसरा नम्बर 104, 105, 106, 107, 108, 700 में से हो। ऐसी स्थिति में अपीलांट् द्वारा मात्र रेस्पोडेन्ट को तंग व परेशान करने की नियत मात्र से तमाम कार्यवाही की जा रही है।

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी सत्यमेव जयते बीकानेर

उन्होनें आगे कथन किया कि प्रकरण में जहाँ तक अपीलांट की आपत्ति की अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादप्रक्रिया को नहीं अपनाया गया है, स्वीकार योग्य नहीं है क्योंकि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादपत्र प्रस्तुत किये जाने पर प्रतिवादी द्वारा इकबाली जवाब दावा प्रस्तुत किये जाने व वादपत्र से सहमति व्यक्त किये जाने पर अन्य कोई कार्यवाही शेष नहीं रह जाने पर ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश जैर अपील पारित करते हुए वादग्रस्त भूमि खातेदारी व विभाजन की घोषणा की गई है। जिसमें किसी प्रकार की कोई वैधानिक त्रुटि नहीं है। ऐसी स्थिति में केवल मात्र तकनीकी बिन्दु के आधार पर अपीलाधीन आदेशों को निरस्त करने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है। लिहाजा अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश जैर अपील में हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स द्वारा मियांद के बिन्दु पर कथन किया कि अपीलांट द्वारा मियाद प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों का वास्तविकता से कोई सरोकार नहीं है, केवल मात्र मियाद प्रार्थना पत्र को रंगत देने के उद्धेश्य मात्र से तमाम कथन अपीलांट् द्वारा किये गये है। अपीलांट् द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित होने के पश्चात् 11 माह उपरान्त अपील प्रस्तुत की गई है जोकि स्पष्ट रूप से मियांद बाहर अपील है। अपीलांट् द्वारा मियांद प्रार्थना पत्र में जो कारण अंकित किये

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

गये है वह इतनी लम्बी अवधि को कण्डोन करने हेतु पर्याप्त कारण नहीं माने जा सकते है। अतः अपीलांट की अपील मियांद के बिन्दु के साथ–साथ गुणावुगुण पर खारिज फरमाई जाकर अपीलाधीन आदेश यथावत बहाल रखा जावे।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी सत्यमेव जयते बीकानेर

6. प्रकरण में जहाँ तक मियांद का प्रश्न है, अपीलांट द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 13–01–2011 के विरूद्व अपील दिनांक 19–12–2011 को प्रस्तुत की गई है। जोकि अपीलाधीन आदेश पारित होने के कारीब 11 माह पश्चात् प्रस्तुत की गई है। अपीलांट् द्वारा अपील के साथ प्रस्तुत मियांद प्रार्थना पत्र में अपील की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 18–10–2011 को होना अंकित करते हुए जानकारी के दिन से अपील अन्दर मियांद प्रस्तुत करने का कथन किया गया है। इसके विपरीत विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स द्वारा अपीलांट की अपील मियांद के बिन्दु पर खारिज करने का कथन किया कि अपीलांट को अपीलाधीन आदेश की जानकारी पूर्व से ही थी तथा अपीलांट द्वारा जानबूझ कर अपील देरी से प्रस्तुत की गई है व अपीलांट् द्वारा मियांद प्रार्थना पत्र में मियांद को कण्डोन करने के जो कारण अंकित किये गये है वह वेग कारण है। अतः अपीलांट् की अपील मियांद के बिन्दु पर खारिज फरमाई जावे।

इस संबंध में हमाने अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली व अपीलांट् द्वारा प्रस्तुत मियांद प्रार्थना पत्र व रेस्पोडेन्ट्स द्वारा प्रस्तुत जवाब मियांद प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। जिनके अवलोकन से प्रथमतः यह तथ्य स्पष्ट है कि अपीलांट् अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पक्षकार स्थापित नहीं थे, ऐसी स्थिति में अपीलांट् को अपीलाधीन आदेश की जानकारी रही हो, ऐसा कोई तथ्य पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। विधि का भी यह सुविस्थापित सिद्वान्त है कि जहाँ पक्षकारों के मध्य विवाद का निर्धारण गुणावगुण पर होना हो, वहाँ मियाद जैसे तकनीकी बिन्दु पर न्यायालय को नरम रूख अपनाते हुए प्रकरण के गुणावगुण पर

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

निर्णय हेतु अग्रसर होना चाहिए। अतः अपीलांट् की अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

प्रकरण में जहॉ तक गुणावगुण का प्रश्न है, प्रस्तुत मामलें में वादग्रस्त भूमि ग्राम देजरासर के खेत खसरा नम्बर 104, 105, 106, 107, 108, 700/109 की भूमि की खातेदारी का विभाजन हेतु रेस्पोडेन्ट् संख्या 1 ता 3 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88 व 53 के तहत वादपत्र प्रस्तुत किया गया। उक्त वादपत्र के साथ रेस्पोडेन्ट्स द्वारा राजस्व रिकार्ड यथा जमाबन्दी की प्रति प्रस्तुत की गई, जिसके अवलोकन से यह तथ्य स्पष्ट है कि रेस्पोडेन्ट्स/वादी एवं रेस्पोडेन्ट् संख्या 4/प्रतिवादी वादग्रस्त भूमि के रिकार्डेड खातेदार रहे है, उक्त वादपत्र पर रेस्पोडेन्ट संख्या 4/प्रतिवादी द्वारा इकबाली जवाबदावा प्रस्तुत किये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आराजी जैर के आदेश आक्षेपित निर्णय व डिक्री जारी करते हुए सभी सह खातेदारों को उनके हक व हिस्से की भूमि का खातेदार काश्तकार व विभाजन किया गया है। प्रकरण में अपीलांट् का प्रस्तुत अपील के माध्यम से मुख्य कथन यह है कि उसके द्वारा वादग्रस्त भूमि में से दक्षिणी पूर्वी हिस्से की 5 बीघा भूमि वर्ष 2006 में कय् की गई थी। रेस्पोडेन्ट्स द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उन्हें पक्षकार स्थापित किये बिना ही आदेश जैर अपील प्राप्त किया गया है। इस संबंध में अपील के साथ संलग्न विक्रय पत्र की प्रति का अवलोकन किया गया। अपीलांट् द्वारा खरीद की गई भूमि ग्राम देराजसर के खेत खसरा नम्बर 510/70 में से कय की गई है, उक्त खसरा नम्बर के नये खसरा नम्बर क्या पैमूद हुए है, इस संबंध में अपीलांट् द्वारा मिलान क्षेत्रफल अथवा सूची नम्बर चार अपील के साथ प्रस्तुत नहीं किये गये है, जिससे यह साबित हो सके कि अपीलांट् खेत खसरा नम्बर 510/70 में से कय की गई भूमि ग्राम देजरासर के वर्तमान खेत खसरा नम्बर 104, 105, 106, 107, 108, 700/109 में ही निहित हो। रेस्पोडेन्ट द्वारा अपने प्रार्थना पत्र दिनांक 08–04–2021 के माध्यम से यह अभिकथन किया गया है कि अपीलांट् द्वारा खरीद की गई भूमि खेत खसरा नम्बर 510/70 के नये खसरा नम्बर 699/70 बने है, उक्त कथन के विरोध में अपीलांट् द्वारा कोई दस्तावेजी प्रमाण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलांट् प्रस्तुत अपील के माध्यम से यह साबित करने में पूर्णतया असफल रहे है कि वह

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

अपीलाधीन आदेश की भूमि से किस प्रकार से व्यथित पक्षकार है। केवल मात्र मौखिक कथन के आधार पर अपीलांट् प्रस्तुत अपील के माध्यम से किसी प्रकार का कोई अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है।

प्रकरण में जहॉ तक अपीलांट् की आपत्ति की अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दावा दायरी के दिन ही आराजी जैर के बाबत् निर्णय व डिक्री पारित कर दिंया गया, इस संबंध में उल्लेखनीय है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादपत्र प्रस्तुत होने पर प्रतिवादी द्वारा इकबाली जवाबदावा प्रस्तुत करते हुए वादपत्र पर अपनी सहमति व्यक्त कर दी गईं हो, वहॉ प्रकरण को अनावश्यक रूप से लम्बित रखने का भी कोई उद्वेश्य नहीं रह जाता है। ऐसीस्थिति में अदालत मातहत द्वारा आदेश जैर अपील पारित करने में कोई वैधानिक त्रुटि की गई हो, न्यायालय के समक्ष प्रकट नहीं होती है। लिहाजा अपीलाधीन आदेश में हस्तक्षेप करना युक्तियुक्त व तर्कसंगत प्रतीत नहीं होता है।

7. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलांट् की अपील खारिज की जाकर उपखण्ड अधिकारी, श्रीडूँगरगढ़ का अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 13–01–2011 यथावत बहाल रखा जाता है।

8. निर्णय आज दिनांक 8/2/24 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(वीरेन्द्र सिंह चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर

डिकरी ब सीगे अपील

(ऑ. 41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code, Appendix 'G' 9)

अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी मुकाम बीकानेर
बइजलास वीरेन्द्र सिंह चौधरी, आर.ए.एस.

शीलादेवी बनाम हनुमानराम व अन्य
अपील संख्या 152/11

बनाराजगी निर्णय व डिक्री उपखण्ड अधिकारी, श्रीडूँगरगढ़
मुवर्खे 13—10—2011

यह अपील ब—तारीख 06—02—2024 रूबरू हमारी, बहाजरी श्री अभिभाषक अपीलांट् श्री धीरेन्द्र सिंह भदौरिया, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट् श्री अजय कुमार ओझा पेश होकर हुक्म हुआ। जिसके अनुसार अपीलांट् की अपील खारिज की जाकर उपखण्ड अधिकारी, श्रीडूँगरगढ़ का निर्णय व डिक्री दिनांक 13—01—2011 यथावत बहाल रखा गया।

(खर्चा अपील हाजा का हल्व तफ्सीस जेरे तादादी मुबलिग ....—.........) रूपयें अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का ....—.............. अदा करें।

बशब्द मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख 08 माह फरवरी सन् 2024 को जारी किया गया।

8/2/24

मुहर

हस्ताक्षर राजस्व अपील प्राधिकारी,
बीकानेर

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू.	पै.	रेस्पोडेन्ट	रू.	य पै.
1. स्टाम्प अपील............ 2. स्टाम्प वकालतनामा .... 3. इजराय हुक्मनामा .... 4. वकील फीस बाबत्			1. स्टाम्प वकालतनामा.............. 2. अर्जी .... 3. इजराय हुक्मनामा .... 4. मेहनताना वकील		
मीजान			मीजान		